

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क०-200 / 16

संस्थापित दि० 04 / 05 / 2016

फाईल नं. 233504000612016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

बबलु मर्सकोले पिता मेहबू मर्सकोले,
 उम्र 34 वर्ष, जाति गोंड, नि०ग्राम देवपिपरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक- 20 / 01 / 2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-354, 506 (भाग-2) के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 11 / 04 / 16 को समय 4:00 बजे के करीबन या उसके लगभग फरियादिया प्रियंकाबाई बोरी गांव के पास छावल रोड पर, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. में फरियादी, जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। आपने फरियादीया प्रियंकाबाई को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना प्रभारी को छेड़छाड़ करने बाबत आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11 / 04 / 16 के करीब 4:30 बजे वह कालेज से घर जा रही थी, जैसवाल बस से बोरी खुर्द उतरी छावल के लिए पैदल घर जा रही थी, की बबलू पिता मेहबू उसके पास आया और उससे बोला कि खेत में चल रही की वह उसे उठाकर ले जाऊ उसने जाने से मना किया तो बबलू ने उसका हाथ पकड़ा और हेमराज भैया के खेत में खिचने लगा, तब ही वह चिल्लाई तो सदाराम पुण्डे निवासी छावल एवं साहेबलाल पुण्डे दौड़े, तो वह भाग गया भागते-भागते

बोला अगर उसकी रिपोर्ट थाने की तो जान से खतम कर देगा। बबलु ने उसे बुरी नियत से पकड़ा है।

03— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 है। जिसके आधार अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 177/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 354, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी का लिखित आवेदन प्र०पी० 1 है। दिनांक 12/04/16 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी०-3 बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1— “आपने दिनांक 11/04/16 को समय 4:00 बजे के करीबन या उसके लगभग फरियादिया प्रियंकाबाई बोरी गांव के पास छावल रोड पर, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. में फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?”

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादीया प्रियंकाबाई को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

06— अभियोजन साक्षी प्रियंका (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय आमला कालेज से जैसवाल बस से बोरी में उतर कर पैदल-पैदल उसके घर जा रही था, तभी उसके पिछे-पिछे आरोपी बबलु आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला कि खेत चल वह उसे उठाकर ले जाऊंगा और उससे जबरदस्ती खिंच कर हेमराज के खेत में ले जाने लगा, तो वह चिल्लाने लगी, वहा सदाराम और

साहेबलाल आए उनको देखकर आरोपी भाग गया। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

07— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिये थे। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह पहले से नहीं पहचानती थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपी को उसने न्यायालय में पेश करने पर पहली बार देखा था। इसके पहले उसको उसने कभी नहीं देखा। अर्थात् घटना दिनांक को फरियादी प्रियंका मिश्रा ने नहीं देखा। जबकि प्र0पी0 1 जो कि लिखित आवेदन है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फरियादी प्रियंका मिश्रा पढ़ी लिखी और शिक्षित है। उक्त साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करें कि अभियुक्त को उसे न्यायालय में पेश करने पर पहली बार देखा था इसके पहले उसको उसने कभी नहीं देखा। अर्थात् घटना दिनांक को अभियुक्त को फरियादी ने नहीं देखा।

08— जबकि अभियोजन पक्ष का अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है फरियादी प्रियंका मिश्रा एक महत्वपूर्ण साक्षी है, उसकी साक्ष्य को महत्वपूर्ण रूप से या सूक्ष्मता रूप से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय का यह मत है कि सौ दोषी दोषमुक्त हो जाये, किन्तु एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। उक्त सिद्धांत को दृष्टिगत रखते फरियादी प्रियंका मिश्रा की साक्ष्य से यह स्वीकार करना कि आरोपी को मैंने न्यायालय में पहली बार देखा है इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। अर्थात् घटना दिनांक को अभियुक्त बबलु को नहीं देखा था और ना ही उसके द्वारा घटना कारित की गई, यदि वास्तविक रूप से घटना अभियुक्त बबलु के द्वारा कारित की जाती, यह गवाह शिक्षित है और पढ़ी लिखी है जो कालेज में पढ़ रही है। ऐसे साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने साक्ष्य में विसंगत कथन करें।

09— अभियोजन साक्षी सदाराम (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी प्रार्थी प्रियंका बोरी में बस से उतरकर उसके घर जा रही थी, तभी आरोपी बबलु आया और उसे पकड़कर गिराने लगा वह घबरा गई थी। वह मौके पर जाने लगा तो उसे आरोपी देखकर भाग गया था। उक्त साक्ष्य से यही स्पष्ट है कि यह गवाह चश्मदीद साक्षी है जिस हिसाब से मुख्य परीक्षा में कथन बताए है उसे यह दर्शित होता है कि इस गवाह ने

घटना होते हुये देखा है किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि जब वह पहुँचा तो प्रियंका बस से उतर कर बाहर बस्ती में आ गई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने प्रियंका से छेड़छाड़ नहीं किया। अर्थात् इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गई हो।

10— अभियोजन साक्षी राममूर्ति (अ0सा07) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसकी लड़की प्रियंका कालेज से बोरी जोड़ बस स्टेण्ड से उतरकर पैदल-पैदल घर जा रही थी, तभी बबलू ने उसके साथ बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ किया था। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

11— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर कभी कोई बयान नहीं लिए। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रार्थिया प्रियंका ने भी लिखित शिकायत थाने में नहीं की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में प्रियंका ने बताया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना नहीं हुई। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आज प्रियंका के बताये अनुसार घटना के संबंध में बता रहा है। यह गवाह फरियादी के बताये अनुसार कथन कर रहा है जो कि फरियादी ने अपने कथन में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पहली बार देखना बताया है। ऐसी स्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से भी यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त बबलू ने फरियादी साथ बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ किया।

12— अभियोजन साक्षी साहेबलाल (अ0सा03) ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्न में घटना का समर्थन नहीं किया है।

13— अभियोजन साक्षी हेमराज यादव (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह टेक्टर लेकर गेंहू लाने के लिए खेत जा रहे थे उसी दौरान वे लोग उनसे आगे निकल गए थे, फिर थोड़ी दूर पर जाने के बाद चिल्लाने की आवाज आई तो लड़की रो रही थी और उसके पास वे लोग गये तो आरोपी घटना स्थल से भाग गया था, उन लोगों ने इतना ही देखा था। आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में अस्वीकार किया है कि उसे ग्राम देवपिरिया का बबलू गोंड उसका हाथ पकड़कर उसके खेत तरफ से जा रहा था। प्रियंका बचाव-बचाव चिल्ला रही थी, साहेबलाल पुन्डे भी दौड़े

तो उनको आता देख बबलु गोंड प्रियंका को छोड़कर भाग गया। इस प्रकार मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई है।

14— अभियोजन साक्षी पवन कुमार (अ०सा००५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी प्रियंका के आवेदन के आधार पर ही उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० २ है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी पंचमसिंह अ०सा००६ ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक १२/०४/१६ को घटना स्थल पर जाकर फरियादी के बताये अनुसार घटना नक्शा मौका प्र०पी० ३ बनाया था। दिनांक १२/०४/१६ को फरियादी प्रियंका गवाह सदाराम, राममूर्ति, हेमराज, साहबलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० ६ तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। फरियादी ने अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे अभियुक्त ने बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं १ का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं २ का निराकरण

16— अभियोजन साक्षी प्रियंका मिश्रा (अ०सा००१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जाते-जाते अभियुक्त बोला कि किसी को बताई तो जान से खतम कर दूंगा। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका ३ में स्वीकार किया है कि आरोपी को उसने न्यायालय में पेश करने पर पहली बार देखा था, इसके पहले उसको उसने कभी नहीं देखा। अर्थात् फरियादी प्रियंका ने अभियुक्त को घटना दिनांक को नहीं देखा। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं २ का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

17— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादीया प्रियंकाबाई को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त बबलु को भा०द०वि० की धारा-354 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०